फर्द अहकाम

बनाम

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9.4.18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप॰। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा॰ पत्र 07 R 11 CPC हेतु दिनांक 16.4.18 को पेश हुई। [signature] 9.4.18	
16.4.18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा॰ पत्र 07 R 11 CPC हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 24.05.18 को पेश हो। [signature] 16.4.18	
23.4.18	पत्रावली पेश हुई, पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु ... कैम्प स्थल राजपुरा पातलवास मे ~~मे पेश~~ दिनांक 24.05.18 को पेश हो।	
24.5.18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट राजपुरा पातलवास में पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित जिनकी पहचान ग्राम पंचायत राजपुरा पातलवास ने की है। उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। प्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC पेश किया। अप्रार्थी / वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं प्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC पर अप्रार्थी / वादी व प्रार्थी / प्रतिवादी को सुनने एवं उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जानकारी लेने तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों की	रामावतार शर्मा नि॰ लाडादेवी R.H.T [signature] सरपंच ग्रा.पं. राजपुरा–पातलवास पंचायत समिति–... (अजमेर)

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		अवलोकन करने एवं लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी ख.नं. 93 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा ग्राम टेकचंदपुरा पटवार हल्का राजपुरा पातलवास तह. बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में पक्षकारो में गोदनामा को लेकर विवाद चल रहा हैं। गोदनामा को चुनौती का वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन हैं। उक्त गोदनामा पत्र के निर्णय हुए बिना इस न्यायालय द्वारा वादी द्वारा चाही गई रिलिफ दिया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरूप नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया।
		आज दिनांक 24.5.18 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट राजपुरा पातलवास में मजमे आम में सुनाया गया।
		Sd/- 24.5.18
		सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी, जिला जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी

1. रामावतार शर्मा पुत्र रामस्वरुप शर्मा दत्तक पुत्र रामकिशन जाति हरि. ब्राहमण निवासी टेकचन्दपुरा तह. बस्सी।

बनाम

प्रतिवादी

1. लाडा देवी पुत्री रामकिशन पत्नि बनवारी जाति हरि. ब्राहमण निवासी टेकचन्दपुरा तह. बस्सी।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।

दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 13/17

निर्णय दिनांक 24.05.2018

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख. नं. 93 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा स्थित ग्राम टेकचन्दपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में पक्षकारों में गोदनामा को लेकर विवाद चल रहा है। गोदनामा को चुनौती का वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त गोदनामा पत्र के निर्णय हुये बिना इस न्यायालय द्वारा वादी द्वारा चाही गई रिलिफ दिया जाना उचित नही समझते है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07आर11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरुप नहीं होने से खारिज किया जाता है। .... निजी..................मुबलिक......................बाबत..खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.........................को अदा करें। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 24.05.18 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त..............................

ओहदा..............................

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनागा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस			फीस		
कमिश्नर			कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी